न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/96/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/171

अपीलार्थी
श्री राव धनवीरसिंह नम्बरदार,
मकान नंबर 02/आई/40, आर. के. पुरम,
हाउसिंग बोर्ड कोटपूतली, जिला–जयपुर (राज.)–303108

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी बानसूर (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 19.05.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 13.06.2022

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांक: 02.04.2022 के द्वारा प्रत्यर्थी कार्यालय से उक्त अधिनियम अंतर्गत गांव लाखा का नांगल, खण्ड बानसूर (अलवर) में राजकीय भूमि पर से अतिक्रमण हटाने संबंधी आदेश, हटाये गये अतिक्रमण का रकबा, अतिक्रमण हटाते वक्त मौजूद प्रशासनिक अधिकारी व अन्यादि संबंधी 01 लगायत 12 बिन्दुओं पर सूचना/प्रतिलिपि चाही गई थी।
4. उक्त RTI प्रा0पत्र दिनांक: 02.04.2022 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांक: 6837 दिनांक: 28.04.2022 के माध्यम से किए गए विनिश्चय के विरूद्ध हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. 7018 दिनांक: 31.05.2022, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी के सूचना आवेदन व हस्तगत अपील के तथ्यों का विवेचन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा उनके पत्रांक: 6837 दिनांक: 28.04.2022 के माध्यम से अपीलार्थी को कार्यालय अभिलेख के आधार पर दस्तावेजी सूचना प्रेषित कर विनिश्चय किया जा चुका है।
7. सूचना आवेदन के बिन्दु सं.1 में वांछित आदेश प्रति प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है,शेष बिन्दुओं पर वांछित सूचना सृजनात्मक, समस्या समाधान स्वरूप, काल्पनिक होने के कारण देय नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के प्र.सं. D.B. CIVIL WRIT (PIL) PETITION NO. 12840/2021 अंतर्गत पारित आदेश दिनांक: 28-01-2022 एवं माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के अनुक्रम में अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) महोदय एवं प्रभारी अधिकारी (राजस्व) प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, अलवर के आदेश सं. 12–3(141)PLPC/राजस्व/2022/972 दिनांक: 11.02.2022 के अनुपालन में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है, माननीय न्यायालय के रिट पिटीशन अन्तर्गत अपीलार्थी कहीं भी पक्षकार नहीं है, साथ ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही संबंधी वीडियो, उपस्थिति अधिकारी, कर्मचारियों के नाम जारी किया जाना विस्तृत लोकहित में नहीं है।
8. अपील के अवलोकनानुसार सूचना आवेदन दिनांक: 02.04.2022 के बिन्दु सं. 01 के अतिरिक्त शेष बिन्दुओं (बिन्दु सं.02 लगायत 12) पर वांछित जानकारी/सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(9),8(1)(e),8(1)(g) एवं धारा 8(1)(j) के आलोक में देय नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अपील में उठाये गये तथ्य प्रश्नात्मक, काल्पनिक, व्यथा व **शिकायतों पर कार्यवाही/रोष–स्वरूप** हैं जिनका **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के स्तर पर निस्तारण किया जाना संभव नहीं है। इस हेतु संविधान में उपलब्ध उपयुक्त मंच के समक्ष शिकायत/परिवाद दायर कर नियमानुसार अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।**
9. अस्तु, प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है। अपील, अपीलार्थी **खारिज कर निस्तारित** की जाती है।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. आज दिनांक: 13.06.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकितकिया गया।

न्या० अति० जि० कलै० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर

(वन्दना खोरवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)